



ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

Regd. Office: Unit No. 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India.

Tel: +91 (124) 490-3344, CIN: U64201HR2008PLC0537

Website: www.mobikwik.com, Email: cs@mobikwik.com

NOTICE OF THE 15TH ANNUAL GENERAL MEETING (POST DISPATCH OF AGM NOTICE)

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on **Saturday, October 28, 2023 at 11:00 AM** by Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without prior notice to the members at a common venue, in compliance with the applicable Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with MCA Circulars dated 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2022 and 09/2023 dated April 08, 2020, April 05, 2020, May 05, 2022 and September 25, 2023 respectively ("MCA Circulars") the businesses at set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the AGM and annexures have been sent through electronic mode to those Members who are registered with the Company / the Depository Participants (DPs) / the Registrar of Companies (R&T Agent), as the case may be. The aforesaid Notice is also available on the Company's website at <https://www.mobikwik.com/ir/> and on the website of the Registrar of Companies (India) Limited (CDSL) at <https://www.evotingindia.com/notice>.

The members who hold shares in physical form and/or who have not yet registered their addresses with the Company/RTA/Depository can register and thereafter attend the AGM along with relevant annexures and the login details for joining the AGM by remote e-voting or e-voting at the AGM by sending the required documents to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 225 5333.

The details pertaining to the AGM and e-voting process is appended below:

1. The date and time for commencement and end of remote e-voting: -

Commencement of remote e-voting	October 25, 2023 at 09:00 AM
End of remote e-voting	October 27, 2023 at 05:00 PM

The remote e-voting shall be disabled after the stipulated time. Members attending in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting shall not be allowed to vote again in the meeting. Once the vote on a resolution is cast by the member, the same cannot be modified/amended subsequently.

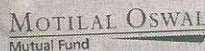
2. A person whose name is recorded in the register of member, or the register of owners maintained by the depositories as on Saturday, October 21, 2023 shall be entitled to vote through remote e-voting/e-voting at the AGM.
3. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through electronic voting during the meeting, provided in the Notice of the AGM.
4. Members who are holding shares in physical form and those persons who become shareholder of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM holding shares as on the Cut-off Date can also vote by obtaining the login details by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 225 5333.

For detailed instructions pertaining to remote e-voting and e-voting at the AGM, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of the Annual General Meeting. Shareholders/ members have any queries regarding login / e-voting, they may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), 6th Floor, Marathon Futurex, Mafatol Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Ground Floor, Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 225 5333.

The aforementioned information is being issued for the information and for the Members of the Company and follows MCA circulars.

For One MobiKwik

Date: October 10, 2023
Place: Gurugram



Oswal Asset Management Company Limited

Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
Tel: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email: amc@motilaloswal.com
CIN: U67120MH2008PLC188186 • Website: www.motilaloswalmf.com

Portfolio statement of the Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund for the period ended September 30, 2023

As per the Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (SEBI) Regulations, 1996 read with clause 5.1 of SEBI Master circular no. SEBI/HO/CFD/CIR/14/2011 dated May 19, 2023, the Half yearly portfolio of the Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund (MSMF) for period ended September 30, 2023 have been hosted on the website www.motilaloswalmf.com/ and AMFI Website i.e. www.amfiindia.com.

Members can obtain a physical or electronic copy of half yearly portfolio through any of the following modes:

1. By email to amc@motilaloswal.com from registered email-id;
2. By calling us at our toll free no. at +91 8108622222, +91 22 40548002;
3. The portfolio statement can be sent at KFin Technologies Limited (Unit – Motilal Oswal Mutual Fund) Tower-B, Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally - 500032, India or by emailing at motilalmsf.processing@kfintech.com.

Members are requested to take note of the above.

**For Motilal Oswal Asset Management Company Limited
(Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)**

Sd/-
Navin Agarwal

Managing Director & Chief Executive Officer

**ALL INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,
AND ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase - I
New Delhi- 110020

CIN: L74899DL1994PLC059950

Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461

Email id: info@pushpsons.com

Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Thursday, November 09, 2023 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the un-audited financial results (Standalone) of the Company for the quarter/ half year ended September 30, 2023. The said notice may be accessed on the Company's website at <http://www.pushpsons.com> also on the website of the stock exchange at <http://www.bseindia.com>.

For Pushpsons Industries Limited

Sd/-
Pankaj Jain

Director

Place: New Delhi
Date: October 09, 2023

DIN: 00001923

UNITED
Street, Mumbai 400 001.
CIN: U67120MH2008PLC188186
www.tatapower.com

COMPANIES ACT, 2013 that Thursday, the purpose of payment of annual dividend, Redeemable, Taxable, (R&T Agent) due on November 27, 2023. **Tata Power Company Limited** Sd/- **H. M. Mistry** Company Secretary

मांग सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, ऑफ सोएसटी रोड, कलिन, मुंबई 400098

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(री) को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे उक्त मांग सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय भुगतान और/या नीचे उल्लिखित वस्तुओं की तिथि तक आगे की ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। ऋण की देय चुकोती के लिए सुझा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा क्रमशः निम्नलिखित संपत्ति को ईएआरसी के पास गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम / ऋण खाता संख्या	मांग सूचना दिनांक और राशि	ट्रस्ट और समनुददेशक का विवरण
1.	हरदीप सिंह (उधारकर्ता) / विमलजीत कौर (सह-उधारकर्ता) NHDEL00000804425	23.08.2023 एवं ₹.1,53,36,380.16/-	आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ईएआरसी ट्रस्ट एएससी - 448
2.	विवेक राठी (उधारकर्ता) / विजय कुमार गौतम (गारंटर) NHFDB00000788770	21.08.2023 एवं ₹.1,03,33,538.25/-	आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और ईएआरसी ट्रस्ट एएससी - 448

संपत्ति का विवरण: पॉकेट-09, सेक्टर-21, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश, जो संपत्ति वाले प्लॉट नंबर 32, छत/छप्पा के साथ दूसरी मंजिल का हिस्सा है, और निर्मित संपत्ति नं. 32 का एक हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है।

संपत्ति का विवरण: संपत्ति धारक सं. यूजी-6, ऊपरी मूलत, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नंबर-1/2 बैच खंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, शहर: गाजियाबाद, राज्य: उत्तर प्रदेश पिनकोड-0 में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश जिसका क्षेत्रफल 350 वर्ग फुट अथवा 32.52 वर्ग मीटर है और चौड़ाई पूर्व में: दुकान नंबर यूजी 5, उत्तर द्वारा: खुली जगह, पश्चिम द्वारा: खुली जगह, दक्षिण द्वारा: सामान्य मार्ग।

यदि उक्त ऋणी पूर्वांक रूप में ईएआरसी को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो ईएआरसी अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त संपत्ति के खिलाफ पूरी तरह से उक्त ऋणी के जोखिम और परिणाम पर लागत के रूप में आगे बढ़ेगा। अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं को चाहे किसी भी माध्यम से, पट्टे पर या अन्यथा ईएआरसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वांक संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्राधान्यों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 11.10.2023

स्थान: दिल्ली

हो/- प्राधिकृत अधिकारी

कृते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss

Asset Reconstruction

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase -I
New Delhi- 110020

CIN: L74899DL1994PLC059950

Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461

Email id: info@pushpsons.com

Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Thursday, November 09, 2023 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the un-audited financial results (Standalone) of the Company for the quarter/ half year ended September 30, 2023.

The said notice may be accessed on the Company's website at <http://www.pushpsons.com> also on the website of the stock exchange at <http://www.bseindia.com>.

For Pushpsons, Industries Limited

Sd/-

Pankaj Jain

Director

DIN: 00001923

Place: New Delhi

Date: October 09, 2023

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that M/s. Ashiana Realtech Pvt. Ltd. which has been granted a Licence No. 20 of 2012 dt. 15/03/2012 for setting up a Group Housing colony on the land measuring 9.39925 acres at Sector -23, Dharuhera, Distt. Rewari (Hr.) having Rera Registration no. is HRERA-PKL-RWR-39-2018 Dated 20.08.2018, has changed its name to Movish Realtech Pvt Ltd. and has also changed its registered address from 203-205, Progressive Chamber, D-3 Block, Commercial Complex, Prashant Vihar, Delhi-110085 to KD-162, Pitampura, Delhi-110034. It is therefore requested to all concerned to take note of the above said change in the name & registered address of M/s. Ashiana Realtech Pvt. Ltd. for all future communication, legal intents & purposes.

For M/s. Movish Realtech Pvt. Ltd.

(Formerly known as Ashiana Realtech Pvt. Ltd.)

DIRECTOR

"फार्म नं. आईएनसी-28"

(कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के संसद कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में और

जीएफबी ग्रेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN : U15490DL2009PTC196285)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 81, हेमकुंट कॉलोनी, फर्ट प्लोर, नई दिल्ली-110048 में है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 28 अक्टूबर, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) और 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एएससीए-21, पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण बवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

81, हेमकुंट कॉलोनी, फर्ट प्लोर, नई दिल्ली-110048

उनके के लिए या उसकी ओर से

जीएफबी ग्रेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/सा

तिथि : 10.10.2023

सुनील कुमार साह

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(री) को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे उक्त मांग सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय भुगतान और/या नीचे उल्लिखित वस्तुओं की तिथि तक आगे की ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। ऋण की देय चुकोती के लिए सुझा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा क्रमशः निम्नलिखित संपत्ति को ईएआरसी के पास गिरवी रखा गया है।

आईआईएफएल-एएफएल

उधारकर्ता(ओं) / सह

उधारकर्ता(ओं) के नाम

श्रीमती राज कुमार

शुक्ला, श्रीमती विहान, व

प्रोसेक्यूट नंबर

IL10086547

श्री अशोक मधु

श्रीमती शिवा मधु

प्रोसेक्यूट नंबर

IL10098598

अन्य विवरणों के लिए व

रोड, जयपुरा बोलुन

कार्यालय, आईआईएफएल

प्रधान : उत्तम नगर, दि

Chola

Enter a better life

कॉर्पोरेट

शाखा का

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(री) को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे उक्त मांग सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय भुगतान और/या नीचे उल्लिखित वस्तुओं की तिथि तक आगे की ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। ऋण की देय चुकोती के लिए सुझा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा क्रमशः निम्नलिखित संपत्ति को ईएआरसी के पास गिरवी रखा गया है।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (2) के

प्रस्तावित आदिष्ट छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.

आवेदक का नाम एवं

तथा ऋण खाता सं.

(ए)

(बी)

1.

ऋण खाता सं.

X0HEDHE00000954407

1. ओम प्रकाश

आरजैड-744ए, गली नंबर 18

नगर, पालम कालोनी, नई दि

2. बुज मोहन शर्मा

ए-64 बेसमेंट, सेक्टर-7, गो

सामने, हारका, नई दिल्ली-1

3. सरस्वती देवी उर्फ सरस्वत

आरजैड-744ए, गली नंबर 18

4. रबी ओम प्रकाश उर्फ रबी

आरजैड-744ए, गली नंबर 18

5. मैसर्स युनिक इध्रा प्रमोटर्स

ए-64 बेसमेंट, सेक्टर-7, हार

तिथि : 11-10-2023 स्थान : दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms Prabha Prashar JUDGE

Ludhiana

केन फिन होम्स लि.

एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तल, कैन्सरा बैंक के ऊपर,
सेक्टर 10ए, मुडगांव, फोन: Ph: 0124-2370035, 7625079135
ईमेल: gurgaon@canfinhomes.com CIN : L85110KA1987PLC008699

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 50) की धारा 13(2) के अधीन सेवा मे,

1. श्रीमती दीपा सिंह (उधारकर्ता) पत्नी स्व० देवेंद्र सिंह, 677 मॉडर्न स्कूल के पास सेक्टर 17 फरीदाबाद खीरी कलां (1130 फरीदाबाद हरियाणा पिन 121002 अन्य पता: प्लॉट नंबर 4338 पी फर्सट फ्लोर रियर साइड टी.पी. स्क्रीम 3 सेक्टर 48 सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद पिन 121001

2. श्री संदीप कुमार (गुरंटर) पुत्र देवेंद्र सिंह, प्लॉट नंबर 13 जेड ब्लॉक श्याम विहार फेस 1 खादू बाबा मंदिर के पास नई दिल्ली पिन 110043

नंबर 1 और 2 के बीच आपने हमारी शाखा से श्रीमती दीपा सिंह (उधारकर्ता) पत्नी देवेंद्र सिंह की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखने की जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये की राशि रु. 22,72,638.00/- (रुपये, बाईस लाख बहत्तर हजार छः सौ अड़तीस मात्र) 29.09.2023 को केन फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ देय है।

बंधक रखी आदि का विवरण

पहली मंजिल का प्लैट, कुल कर क्षेत्रफल 595 वर्ग फुट, प्लॉट नंबर 4338 माप 158 वर्ग गज, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में स्वामित्व संख्या 11 टी.पी. स्क्रीम नंबर 3 भाग 1 सेक्टर 49 जिला फरीदाबाद में स्थित है ग्राम नवादा कोह जिला फरीदाबाद के रेन्स्यू स्टेट के खसरा सं. 373/1, 373/2, 373/3, 387/1, 387/2, 374, 370, 371, 372, 388, 389 मि में स्थित है।

सम्पत्ति की चौधड़ी निम्नानुसार:

उत्तर: 23 चौड़ा रोड,

पूर्व: प्लॉट सं. 4339

आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्रमांक 1 व 2 को प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपुर्दी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जदार/रों के अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(री) को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे उक्त मांग सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय भुगतान और/या नीचे उल्लिखित वस्तुओं की तिथि तक आगे की ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। ऋण की देय चुकोती के लिए सुझा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा क्रमशः निम्नलिखित संपत्ति को ईएआरसी के पास गिरवी रखा गया है।

बंधक रखी आदि का विवरण

पहली मंजिल का प्लैट, कुल कर क्षेत्रफल 595 वर्ग फुट, प्लॉट नंबर 4338 माप 158 वर्ग गज, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में स्वामित्व संख्या 11 टी.पी. स्क्रीम नंबर 3 भाग 1 सेक्टर 49 जिला फरीदाबाद में स्थित है ग्राम नवादा कोह जिला फरीदाबाद के रेन्स्यू स्टेट के खसरा सं. 373/1, 373/2, 373/3, 387/1, 387/2, 374, 370, 371, 372, 388, 389 मि में स्थित है।

सम्पत्ति की चौधड़ी निम्नानुसार:

उत्तर: 23 चौड़ा रोड,

पूर्व: प्लॉट सं. 4339

आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्रमांक 1 व 2 को प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपुर्दी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जदार/रों के अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(री) को उन्हें जारी संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे उक्त मांग सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय भुगतान और/या नीचे उल्लिखित वस्तुओं की तिथि तक आगे की ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। ऋण की देय चुकोती के लिए सुझा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा क्रमशः निम्नलिखित संपत्ति को ईएआरसी के पास गिरवी रखा गया है।